न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 383/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– गणेशराम 2– मोतीराम 3– भीमाराम सभी पुत्रगण भेराराम जाति मीणा निवासी दुदापुरा, तहसील बाली जिला पाली		1– लीला पुत्री दोना जाति मीणा निवासी जाटो का गुडा, तहसील देसूरी जिला पाली . 2– निर्मला पत्नी रमेश मीणा निवासी सेराली तहसील बाली जिला पाली 3– उषा पत्नी रमेश मीणा निवासी चामुण्डेरी तहसील बाली जिला पाली 4– गेहरी पुत्री भेराराम पत्नी हरजी मीणा निवासी ग्राम देसूरी जि0 पाली 5– सुमटी पुत्री भेराराम पत्नी टीकम मीणा निवासी लकमावा, तहसील सुमेरपुर जिला पाली 6– लेहरी पुत्री भेराराम पत्नी चिमना निवासी रेला (भाटूण्ड) तहसील बाली जिला पाली 7– रगाराम 8– हीराराम 9– सोहनलाल 10–मंजू (रेस्पो0 संख्या 7 ये 10 पुत्र/पुत्री गंगा निवासी देसूरी) 11–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी जिला पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार (भू.अभिलेख) देसूरी द्वारा प्रकरण संख्या 3/2016 मे दिनांक 16/18–7–2018 को पारित करते हुए अपीलांटगण का वसीयत के आधार पर म्युटेशन भरने का प्रार्थना पत्र खारीज किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री भरत श्रीमाली अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री विक्रम चौधरी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की ओर से ।
3–श्री राधेश्याम लोहिया अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4 से 7 व 10 की ओर से।
4– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 11 की ओर से ।
5– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 19–11–2020

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम दुदापुरा तहसील देसूरी स्थित खसरा नंबरान 59, 97, 98 का कुल रकबा 5.61 हेक्टेयर, खसरा नंबर 57 व 58 का कुल रकबा 2.01 हेक्टेयर (म्युटेशन संख्या 201 ग्राम दुदापुरा अनुसार) तथा खसरा नंबर 95 रकबा 0.02 हैक्टेयर (म्युटेशन संख्या 202 ग्राम दुदापुरा अनुसार) भूमि भेराराम पुत्र खीमा जाति मेणा सा0 देह के खातेदारी की थी । उक्त खातेदार ने उनके जीवनकाल मे अपने तीन पुत्रो वर्तमान अपीलांटगण कमशः गणेशराम, मोतीराम एवं भीमाराम के पक्ष मे एक वसीयत दिनांक 19–3–2009 को निष्पादित की थी तथा उसके पश्चात दिनांक 2–4–2009 को उनका निधन हो जाने पर उसके खातेदारी की भूमि के

अति० संभागीय आयुक्त
19.11.2020
जोधपुर

संबंध मे फोतेदगी नामांतरकरण यंख्या 201 एवं 202 तहसीलदार (भू.अभिलेख) देसूरी द्वारा मृतक के समस्त वारिसान पुत्र, पुत्रियां एवं पुत्रवधु के नाम दिनांक 18–12–2009 को स्वीकृत किये । उक्त दोनो नामांतरकरण संख्या 201 एवं 202 के विरूद्ध अपीलांटगण संख्या 1 से 3 एवं अन्य वारिसान की ओर से दो पृथक पृथक अपीले जिला कलेक्टर पाली के समक्ष अपील संख्या 19/2013 एवं 20/2013 प्रस्तुत की । उक्त दोनो अपीलो को जिला कलेक्टर पाली ने अपने निर्णय दिनांक 24–4–2014 के द्वारा स्वीकार करते हुए तहसीलदार देसूरी को मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की नियमानुसार विधिवत जांच कर बाद जांच के नये सिरे से नामांतरकरण पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया। जिसकी पालना मे तहसीलदार (भू.अभिलेख) देसूरी ने बाद जांच अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–7–2018 को पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांटगण ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

पक्षकारो के अधिवक्तागण उपस्थित । वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने अपनी लिखित बहस पहले ही दिनांक 6–12–2019 को न्यायालय मे प्रस्तुत कर दी थी उसी को अपनी बहस सुमार करने का निवेदन किया । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को अपनी बहस का अंग सुमार करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलांटगण को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर ही प्रदान नहीं किया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से खारीज योग्य है ।

अपीलांट अधिवक्ता नें अपनी बहस के दौरान मुख्य रूप से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को इस आधार पर त्रुटिपूर्ण बताया कि जब अधीनस्थ न्यायालय मे उनके द्वारा पृथक पृथक विषय के प्रार्थना पत्र कमशः दिनांक 6–6–2017 बाबत अधिकार पत्र रेकर्ड पर लेने का, प्रार्थना पत्र दिनांक 9–6–2017 सक्षक कार्यवाही करने हेतु समय दिलाने बाबत प्रार्थना पत्र, दिनांक 3–7–2017 नकलो के अभाव मे सक्षम कार्यवाही करने हेतु समय दिलाये जाने का तथा दिनांक 20–12–2017 बाबत अप्रार्थीनी एवं उसके गवाहान से जिरह कराने हेतु गवाह तलब कराये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत जिस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मार्किंग अवश्य है परंतु उक्त प्रार्थना पत्रो का न तो आदेशिका मे ही उल्लेख किया गया है और न ही उक्त सभी प्रार्थना पत्रो पर किसी प्रकार का आदेश पारित किया गया है ऐसे मे मेरे प्रार्थना पत्रो के अधीनस्थ न्यायालय मे लंबित रहते पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि किसी भी प्रकरण का अंतिम निस्तारण करने से पूर्व प्रकरण मे कोई भी प्रार्थना पत्र लंबित नही रहना चाहिये परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधि के प्रावधान की अनदेखी करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने अपनी इस बहस के समर्थन मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबीसीएमए नंबर 1354/2008 अनवान प्रभुराम बनाम जिला कलेक्टर नागौर के मामले मे दिनांक 18–9–2008 को पारित निर्णय की प्रति प्रस्तुत की ।

इसके अलावा अपीलांट अधिवक्ता नें अपनी बहस मे मुख्य रूप से यह कथन किया

कि वर्तमान प्रकरण मे पक्षकारान मीणा जाति के है जो कि अनुसुचित जनजाति के सदस्य होने से इन पर हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू ही नही होंगे इस संबध मे अपीलांट अधिवक्ता ने हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 2 एवं उपधारा 2 के प्रावधानो की ओर ध्यान दिलाया तथा यह भी कथन किया कि मीणा जाति मे विवाहिता पुत्रियों का उसके पिता की सम्पति मे कोई अधिकार हासिल नही होते परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने अपनी इस बहस के समर्थन मे आर.एल.डब्लु. 2006 (2) राज. पेज 813 एवं 2012 (2) आर.एल.डब्लु राज. पेज 749 जो बोर्ड आफ रेवेन्यु राजस्थान द्वारा रिविजन/एलआर/6758/2011/भरतपुर निर्णय दिनांक 20–12–2011 अनवान श्रीमती रतनी वगैरा बनाम श्रीमती ममता वगैरा के मामले मे पारित किया गया है, की निर्णय नजीरे पेश की ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के खातेदार हमारे पिता भेराराम पुत्र खीमा जांति मेणा सा0 देह ने उनके जीवनकाल मे हम तीनो अपीलांटगण गणेशराम, मोतीराम एवं भीमाराम के पक्ष मे एक वसीयत दिनांक 19–3–2009 को निष्पादित की थी तथा हमारे पक्ष मे वसीयत प्रभाव मे होते हुए अधीनस्थ न्यायालय मे वसीयत के गवाहान आदि के बयानात आदि लेने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे यह फाईंडिंग देते हुए कि अपीलाधीन भूमि स्व अर्जित सम्पति नही होने से मृतक खातेदार भेराराम पुत्र खीमा जाति मीणा के विधिक वारिसान के नाम म्युटेशन भरने हेतु पटवारी हल्का को आदेशित किया है, जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी द्वारा पारित निर्णय को निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन भूमि स्वअर्जित नही होने की फाईंडिंग देते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही माना जा सकता है क्योकि अपील मे वर्णित सम्पूर्ण खसरा नंबरान की भूमि अपीलांट के पिता भेराराम स्वयं के नाम से उसके खातेदारी मे दर्ज थी तो उसे अपने खातेदारी की भूमि की वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था इसलिए मृतक खातेदार ने अपने जीवनकाल मे अपने तीन पुत्रों जो वर्तमान मे अपीलांटगण है, के पक्ष मे एक वसीयतनामा दिनांक 19–3–2009 को निष्पादित किया था तो अधीनस्थ न्यायालय को वसीयत के आधार पर नामांतरकरण दायर करने का ही आदेश पारित किया जाना चाहिये था ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि जब कोई खातेदारी निंवसीयत फोत होता है तो उसके खातेदारी की भूमि उसके समस्त वारिसान मे निहित होगी परंतु वर्तमान मामले मे अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक के समस्त विधिक वारिसान के नाम नामांतरकरण दर्ज करने बाबत पारित किया गया आदेश विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय विधि एवं न्यायसंगत नही होने से उसे खारीज

कर अपीलाधीन भूमि का नामांतरकरण वर्तमान अपीलांटगण एवं वसीयतग्रहिता के पक्ष मे दर्ज करने बाबत तहसीलदार देसूरी को निर्देशित करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की ओर से पत्रावली मे उपलब्ध लिखित बहस मे उल्लेख किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी ने जिला कलेक्टर पाली द्वारा रिमाण्ड आदेश मे दिये गये निर्देशो की पालना करते हुए जो निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांटगण की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने अपनी लिखित बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अपीलांटगण एंवं उनके पक्ष मे की गई वसीयत के गवाह सिकन्दरखां के बयान कलमबद्ध किये गये जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे है परंतु अपीलांटगण द्वारा पेश की गई वसीयत को तहसीलदार देसूरी मे एक्जीबीट प्रदर्शित भी नही करवाया गया है इसलिए अपीलांटगण के पक्ष मे की गई वसीयत को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी द्वारा पढा ही नही जा सकता है तथा वसीयत की गई थी अथवा नही, उसकी सत्यता पर कोई टीका टिप्पणी किया जाना न्यायोचित नही है ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की लिखित बहस मे यह तथ्य भी उल्लेखित किया है कि वसीयतनामा पर भेराराम का अंगुष्ठ निशान भी संदेहास्प्रद होता है क्योकि वसीयतनामा पर अंगुठा निशान अलग है एवं स्टाम्प पर किया गया अंगुठा निशान अलग हैं तथा स्टाम्प दिनांक 17–3–2009 को उदयपुर से खरीदना बताया है जबकि लिखा पढी दिनांक 19–3–2009 को दुदापुरा मे की गई है जिसमे परिवार के अन्य सदस्य एवं समाज के व्यक्तियो के हस्ताक्षर नही है, केवल मात्र भेराराम के अंगुठा निशान है तथा भेराराम का देहांत 2–4–2009 को हो गया इसलिए भी वसीयतनामा संदेहास्प्रद है क्योकि अपीलांट गणेशराम स्वयं ने अपने बयानो मे कहा है कि मेरे पिताजी भेराराम जी काफी समय से बीमार है जो चलने फिरने मे समर्थ नही थे तो ऐसी स्थिति मे भेराराम द्वारा स्वयं दुदापुरा गावं से उदयपुर जाकर स्वयं के नाम से वसीयत के लिए स्टाम्प लाना व वापस आकर दुदापुरा मे वसीयत का निष्पादन करने का तथ्य सरासर गलत व झूंठा है ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने अपनी लिखित बहस मे उल्लेख किया है कि अपीलांटगण अपने पुश्तैनी सम्पति को हडपने की नीयत से उक्त गलत एंव झूंठे वसीयतनामे के आधार पर उक्त भूमि का नामांतरकरण अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने लिखित बहस मे यह भी उल्लेख किया कि रेस्पो0 संख्या 1 लीला जो कि मृतक खातेदार भेराराम के मृतक पुत्र मोडाराम की पत्नीं एवं स्व0 भेराराम की पुत्रबधु है इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय मे मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य यथा आधार कार्ड, पहचान पत्र, आदि के आधार पर तहसीलदार देसूरी द्वारा भेराराम की पुत्रवधु की हैसियत से अन्य वारिसान के साथ उसका भी नाम दर्ज किया गया था, इसके अलावा उषा एवं निर्मला जो कि मोडाराम की पुत्रियां है उनके बयानो से भी स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 लीला मृतक खातेदार भेराराम की पुत्रवधु है । अधीनस्थ न्यायालय के बयानो मे यह तथ्य भी आया है कि लीला आज भी मोडाराम की पत्नी की हैसियत से रह रही है उसने उसके पति मोडाराम की मृत्यु के बाद आज तक कोई दूसरा विवाह या नाता नही किया है । उसे अपीलांटगण द्वारा ग्राम दुदापुरा मे नही रहने

दिया तो वह अपने भाई के पास ग्राम जाटो का गुडा मे मजदुरी करके अपना जीवन यापन कर रही है तथा वह अपनी दोनो पुत्रियां उषा एवं निर्मला के सामाजिक कार्य माता की हैसियत से निर्वहन कर रही है इसलिए रेस्पो0 लीला एवं उसकी पुत्रियां भी मृतक खातेदार भेंराराम की विधिक वारिसान एवं उतराधिकारी होने से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने जो समस्त विधिक वारिसान के नाम नामांतरकरण दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी ने जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित रिमाण्ड आदेश की पालना करते हुए तथा मृतक खातेदार भेराराम के सभी विधिक वारिसान की जांच कर उन्हे सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के बाद तथा बयानात आदि रेकर्ड पर लेकर मृतक के सभी विधिक वारिसान के नाम नामांरतरकण की कार्यवाही करने बाबत जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

अन्य रेस्पो0 संख्या 4 से 7 एवं 10 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपीलांट अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुए कथन किया कि तहसीलदार देसूरी ने अपीलाधीन आदेश हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानो को मध्यनजर रखते हए मृतक के उतराधिकारियो पुत्र, पुत्रियां, पुत्रवधु आदि के नाम म्युटेशन दायर करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि वर्तमान प्रकरण मे पक्षकारान अपीलांटगण एवं रेस्पो0गण एक ही परिवार के तथा मीणा जाति के है जो अनुसुचित जनजाति मे आते है तथा अनुसुचित जनजाति के मामलों मे हिन्दु उतराधिकार के प्रावधान लागू नही होते है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया तथा अपीलांटगण की अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–18–7–2018 का अध्ययन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया तथा वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे प्रस्तुत निर्णय नजीरो आदि का तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानो का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।

ग्राम दुदापुरा तहसील देसूरी स्थित खसरा नंबरान 59, 97, 98 का कुल रकबा 5.61 हेक्टेयर, खसरा नंबर 57 व 58 का कुल रकबा 2.01 हेक्टेयर (म्युटेशन संख्या 201 ग्राम दुदापुरा अनुसार) तथा खसरा नंबर 95 रकबा 0.02 हेक्टेयर (म्युटेशन संख्या 202 ग्राम दुदापुरा अनुसार) भूमि भेराराम पुत्र खीमा जाति मेणा सा0 देह के खातेदारी की थी । उक्त खातेदार ने उनके जीवनकाल मे अपनी उक्त खातेदारी की भूमि के संबंध मे अपीलांटगण के पक्ष मे एक वसीयतनामा दिनांक 19–3–2009 को निष्पादित किया था तथा उसके पश्चात दिनांक 2–4–2009 को खातेदार भेराराम का निधन हो जाने पर उसके खातेदारी की भूमि के संबंध मे फोतेदगी नामांतरकरण यंख्या 201 एवं 202

तहसीलदार (भू.अभिलेख) देसूरी द्वारा मृतक के समस्त वारिसान पुत्र, पुत्रियां एवं पुत्रवधु के नाम दिनांक 18–12–2009 को स्वीकृत किये । उक्त दोनो नामांतरकरण संख्या 201 एवं 202 के विरूद्ध अपीलांटगण संख्या 1 से 3 एवं अन्य वारिसान की ओर से दो पृथक पृथक अपीले जिला कलेक्टर पाली के समक्ष अपील संख्या 19/2013 एवं 20/2013 प्रस्तुत की । उक्त दोनो अपीलो को जिला कलेक्टर पाली ने अपने निर्णय दिनांक 24–4–2014 के द्वारा स्वीकार करते हुए तहसीलदार देसूरी को मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की नियमानुसार विधिवत जांच कर बाद जांच के नये सिरे से नामांतरकरण पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया। जिसकी पालना मे तहसीलदार (भू.अभिलेख) देसूरी ने प्रकरण संख्या 3/2016 दर्ज कर संबंधित पक्षकारो को नोटिस देकर उनके बयान आदि कलमबद्व कर बाद जांच अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–7–2018 को पारित किया गया । तहसीलदार देसूरी ने अपीलाधीन निर्णय मे अपील मे वर्णित वादग्रस्त भूमि को स्वःअर्जित सम्पति नही मानते हुए अपीलाधीन भूमि के खातेदार भेराराम के विधिक वारिसान के नाम नामांतरकरण भरने हेतु पटवारी हल्का को आदेशित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत वर्तमान अपील मे अपीलांट के अधिवक्ता ने विशेष रूप से यह कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण मे पक्षकारान अपीलांटगण एवं रेस्पो0गण सभी मीणा जाति के सदस्य है तथा मीणा जाति अनुसुचित जन जाति मे होने से वर्तमान मामले मे हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू ही नही होते परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार मृतक खातेदार के समस्त विधिक वारिसान के नाम नामांतरकरण दर्ज करने बाबत आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है । इस संबंध मे हमने अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे प्रस्तुत निर्णय नजीरो का अध्ययन किया तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 2 उपधारा 2 (2) का भी अध्ययन किया जिसमे इसप्रकार अभिनिर्धारित किया हुआ है– "अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यो को, जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) के अर्थ के अन्तर्गत अनुसुचित जनजाति हो, लागू नही होगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा अन्यथा निदिष्ट न कर दे ।"उक्त प्रावधानो के परिपेक्ष्य मे भी अनुसुचित जनजाति के प्रकरणो मे हिन्दु उतराधिकार अधिनियम लागू नही होता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही के दौरान वर्तमान अपीलांट की ओर से पृथक पृथक विषय के कुल 4 प्रार्थना पत्र कमशः दिनांक 6–6–2017, 9–6–2017, 3–7–2017 तथा दिनांक 20–12–2017 को प्रस्तुत किये गये थे, जिनका जिक्र अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका मे नही किया हुआ है जबकि उक्त सभी प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है । उन सभी प्रार्थना पत्रो को निर्णित किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का अंतिम निस्तारण कर दिया, जो कि समर्थन योग्य नही माना जा सकता है, जैसाकि अपीलांट अधिवक्ता द्वारा उनकी इस

बहस के समर्थन मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबीसीएमए नंबर 1354/2008 अनवान प्रभुराम बनाम जिला कलेक्टर नागौर के मामले मे दिनांक 18–9–2008 को पारित निर्णय मे अभिनिर्धारित किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि जब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मृतक खातेदार भेराराम द्वारा अपीलाधीन भूमि के संबंध मे उसके पुत्रो वर्तमान अपीलांटगण के पक्ष मे दिनांक 19–3–2009 को निष्पादित वसीयत का दस्तावेज प्रस्तुत हो चुका था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे मात्र यह उल्लेख किया कि अपीलाधीन भूमि मृतक खातेदार भेराराम की स्वःअर्जित सम्पति नही है । मृतक खातेदार भेराराम को वसीयत करने का अधिकार था या नही, ऐसी कोई स्पष्ट फाईंडिंग अपीलाधीन निर्णय मे नही दी है केवल मृतक के विधिक वारिसान के नाम नामांतरकरण दर्ज करने बाबत आदेश पारित कर दिया इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय नॉन स्पीकिंग आर्डर की श्रेणी का होना पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय (आदेशिका मे दिनांक 16–7–2018 एवं निर्णय मे उल्लेखित दिनांक 18–7–2018) निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देसूरी को निर्णय मे दिये गये उपरोक्त ऑब्जर्वेशन के परिपेक्ष्य मे पुनः परीक्षण कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19–11–2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

19.11.2020

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर